ब्लॉक–5, द्वितीय एंव तृतीय तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
फोनः– 0141–2712376 फैक्सः– 0141–2701822 Email: - rajssa_as@yahoo.co.in

क्रमांकः राप्राशिप/जय/वै.शि/ट्रांसपोर्ट वाउचर/2017–18/ 12546 दिनांकः 25.1.2018

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0),
जिला शिक्षा अधिकारी (मा0शि0)
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान/रमसा,
समस्त जिले।

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान/रमसा,
समस्त जिले।

वै. शि.
25/1/18

विषयः– राज्य सरकार द्वारा जारी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2017–18 संबंधी दिशा निर्देशों की क्रियान्विति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना संबंधी दिशा निर्देश आदेश क्रमांक प.21(33)प्रारंभिक शिक्षा/आयोजना/2017 जयपुर दिनांक 18.12.2017 (प्रति संलग्न) को जारी किये गये है, जिसके द्वारा निम्न निर्देश दिये गये है –

1. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता –
   - ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे बालक/बालिका, जिनके वास स्थान से 1 किमी की दूरी तक कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।
   - ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे बालक/बालिका, जिनके वास स्थान से 2 किमी की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।
2. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत निर्धारित राशि की दर –

कक्षा	वास स्थान से दूरी	अधिकतम दर (प्रति उपस्थिति दिवस)
1 से 5	एक किमी से अधिक	10 रूपये
6 से 8	दो किमी से अधिक	15 रूपये

शासन द्वारा जारी उपरोक्त दिशा निर्देश तथा पात्रता के आधार एवं भुगतान हेतु निर्धारित राशि की दर को निम्न निर्देशानुसार क्रियान्वित किया जाकर योजना की क्रियान्विति सुनिश्चित की जानी है–

I. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अन्तर्गत भुगतान की पात्रता निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत ऐसे किसी भी विद्यार्थी को योजना का लाभ देय नहीं होगा जिसके निवास स्थान के क्रमशः 1 किमी की परिधि में राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं 2 किमी की परिधि में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अवस्थित है, परन्तु किन्हीं अन्य कारणों से वह वर्तमान विद्यालय में अध्ययनरत है, भले ही उसके निवास स्थान से उसके अध्ययनरत विद्यालय की दूरी 1 किमी0 एवं 2 किमी0 (क्रमशः प्राथमिक कक्षा एवं उच्च प्राथमिक कक्षा की निर्धारित दूरी) से अधिक हो।

www.rajteachers.com

यह देय नहीं है। उक्त योजना का लाभ राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 के उन विद्यार्थियों को भी उपलब्ध रहेगा जो शासन के दिशा निर्देश दिनांक 18.12.2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार निवास स्थान से विद्यालय की दूरी के आधार पर पात्रता रखते है।

III. इस योजना के लाभान्वित समस्त विद्यार्थी सामान्यतः 6 से 14 आयुवर्ग के होंगे जो अवयस्क होते है। अवयस्क का अपना पृथक बैंक खाता नहीं होता अपितु बैंक खाता माता-पिता अथवा अभिभावक के संरक्षण में होता है। अतः उक्त राशि का भुगतान, जहाँ सामूहिक परिवहन की व्यवस्था एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा नहीं की गई हो, विद्यार्थी के माता-पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में जो कि उनके द्वारा विद्यालय में अंकित कराया गया है, में किया जाएगा। जहां तक संभव हो भुगतान ऑन-लाईन किया जावे। जहां ऑन लाईन संभव नहीं हो, वहां चैक से किया जावे।

IV. इस योजना के अन्तर्गत राशि का वित्तीय प्रबंधन योजना के दिशा निर्देश दिनांक 18.12.17 के बिन्दु संख्या 5 अनुसार किया जावेगा। राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बिन्दु संख्या 5.8 की प्रक्रिया अपनाई जाकर पात्र विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना अन्तर्गत राशि का भुगतान जनवरी माह के लिए स्वीकृति तिथि से 31 जनवरी तक का पुर्नभुगतान तथा फरवरी 2018 माह से प्रतिमाह अग्रिम किया जाएगा।

V. जिस विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा सामूहिक परिवहन की व्यवस्था की जाती है, वहां पर भुगतान अग्रिम नहीं किया जाकर माह की समाप्ति पर एक सप्ताह की अवधि में परिवहन सुविधा प्रदाता के बैंक अकाउण्ट में ऑनलाईन किया जावे।

VI. आगामी माह में राशि का आवंटन गत माह के लिए आवंटित की गई अग्रिम राशि में से विद्यार्थी की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर उपयोग में ली गई राशि का समायोजन करते हुए एवं शेष राशि मिलाते हुए किया जाएगा।

VII. यह प्रक्रिया इसी प्रकार पूरे शैक्षिक सत्र में अपनायी जाएगी।

VIII. शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल पर दिशा निर्देशानुसार ऑनलाईन अपडेशन प्रति माह 5 तारीख तक अनिवार्यरूप से कराया जावे।

(जस्साराम चौधरी)
अतिरिक्त आयुक्त

क्रमांकः राप्राशिप/जय/वै.शि/ट्रांसपोट वाउचर/2017-18/1254-56 दिनांकः 25.1.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, भाषा एवं स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, रामाशिप, जयपुर
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
7. नियंत्रक वित्त, राप्राशिप, जयपुर।
8. उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, समस्त संभाग।
9. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, समस्त संभाग।
10. एनआईसी, तकनीकी अधिकारी जयपुर।
11. रक्षित प्रति।

क्रमांक 2176 दिनांक 25-1-2018
B.E.E.O./ PEEO समस्त

25/1/18
(जस्साराम चौधरी)
अतिरिक्त आयुक्त

E:\Sh. Suresh Ku. Sir DD AS\M.S.Office\AS letter 17-18.docx

दिनांक 31/1/18 तक पात्र विद्यार्थियों की सूची प्रस्तुत करें।

25/1/18

www.rajteachers.com